न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 36 / 2022

श्री राजाराम गौतम पुत्र श्री कैलाश चन्द निवासी प्लाट नं0 11 श्री स्वर्ण दुर्गा मन्दिर के पास, कोटा रोड बाईपास टोंक जिला टोंक राज0 --अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट, टोंक --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 31.10.2022**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 11.7.2022 को प्रेषित / प्रस्तुत करने पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने उनके पत्र कमांक 712 दिनाक 21.07.2022 से लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को अन्तरित करने पर उनके पत्र कमांक 5635 दिनांक 26.07.2022 से लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोक को अन्तरित किया गया है। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोक ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार देवली से संबंधित होने पर उनके पत्र कमांक 1728-30 दिनांक 12.09.2022 से प्रार्थना पत्र अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गई:-

कैलाश पुत्र जगन्नाथ जाति ब्राह्मण भूमि आंवटन मि.न. 475 / 1961 पत्रावली ग्राम चांदली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार देवली को पत्र कमांक 1111 दिनांक 13.10.2022 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार देवली ने उनके पत्र कमांक रीडर / 2022 / 236 दिनांक 13.10.2022 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना / संबंधित रिकार्ड कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने से इस बाबत प्रार्थी को पूर्व में पत्र कमांक 3009 दिनांक 26.07.2022 से सूचना के संबंध में सूचित किया गया है। अ[illegible] अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलत: अपील अपीलाण्ट[illegible]य की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार दे[illegible]था अपीलार्थी[illegible] प्रेषित की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:56:03 IST
Reason: SelfAttested

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)